



2026: AHC: 3433

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 41581 सन् 2025

इनाम इलाही

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:- अंजलि सिंह तोमर, इन्दर पाल सिंह तोमर

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए० जी० ए० श्री राजेश कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त-आवेदक की ओर से, पुलिस थाना-हापुड़ नगर, जनपद-हापुड़ में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2) तथा 75 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 9-ग/10 के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 393 सन् 2025 में जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे उक्त वाद अपराध संख्या मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एक वरिष्ठ नागरिक है जिसकी आयु लगभग 62 वर्ष है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने न तो पीड़िता की लज्जा भंग की है और न ही उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विवेचना अधिकारी द्वारा अभिलिखित साक्षियों के कथनों में भिन्नता है, जिससे अभियोजन की कहानी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



असत्य प्रतीत होती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख पर कोई वीडियो क्लिप उपलब्ध नहीं है तथा आवेदक के विरुद्ध लगाया गया आरोप मनगढ़ंत है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान वाद में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा आवेदक से किसी प्रकार की अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन में पीड़िता के शरीर पर न तो बाह्य और न ही आंतरिक कोई चोट परिलक्षित हुई है। आवेदक दिनांक 28.06.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। जमानत पर उन्मोचित किए जाने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए०जी०ए० ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथनों का खण्डन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता तथा सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किंतु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का एक प्रकरण निर्मित होता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित वाद-अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक, **इनाम इलाही** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभु को निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर उन्मोचित किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक एवं हर तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

पी के एस

Translated Version, Not For Legal Use.